# राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर

F.6-B(1) /Exam-B /SI-PC 2021/Re-Exam/2020-21/ 654 दिनांक 07.07.2026

## प्रेस–नोट

आयोग द्वारा जारी प्रेस नोट दिनांक 08.05.2026 के क्रम में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर में दायर याचिका संख्या SBCWP No. 9964/2026 RITIKA VS. STATE AND ORS. में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 02.07.2026 के क्रम में उप निरीक्षक पुलिस/प्लाटून कमांडर भर्ती परीक्षा, 2021 के पदो हेतु दिनांक 20.09.2026 को पुनः आयोजित की जाने वाली परीक्षा में पूर्व भर्ती परीक्षा, 2021 में ऑनलाईन आवेदन करने वाले समस्त अभ्यर्थियों को **उक्त रिट याचिका के अध्यधीन अनन्तिम रूप से (provisionally permit) सम्मिलित किया जा रहा है।**

अतः उप निरीक्षक पुलिस/प्लाटून कमांडर भर्ती परीक्षा, 2021 के पदों हेतु पूर्व में ऑनलाईन आवेदन करने वाले समस्त अभ्यर्थियों को अपने आवेदन पत्र में आवश्यक अपडेट (यथा मोबाईल नंबर, ई–मेल आई.डी., पत्राचार का पता, लाईव फोटो, हस्ताक्षर व अंगूठा निशानी) करने के लिए दिनांक 08–07–2026 से 22–07–2026 तक का अवसर प्रदान किया जा रहा है, **जिन अभ्यर्थियों द्वारा प्रेस नोट दिनांक 08.05.2026 के तहत अपने आवेदन पत्र में आवश्यक अपडेट पूर्व में ही माह मई 2026 में कर लिया गया है, उन्हे पुनः आवेदन पत्र में अपडेट करने की आवश्यकता नहीं है।** अभ्यर्थियों को अपने आवेदन पत्र में निम्नलिखित प्रविष्टियों में संशोधन अनुमत होगा :–

1- Mobile Number
2- Email Address
3- Correspondence Address
4- Live Photo Update
5- Thumb Impression
6- Signature

उक्त संशोधन करने से पूर्व अभ्यर्थी को अपने OTR में KYC (यदि अब तक नहीं की गई है) करते हुए **लाइव फोटो, Thumb Impression व हस्ताक्षर** भी अपलोड करने होंगे।

**अपने आवेदन में उक्त संशोधन अभ्यर्थी निम्नानुसार कर सकता हैः–**

- **यदि अभ्यर्थी द्वारा OTR में KYC प्रक्रिया पूर्ण हैः–** अभ्यर्थी SSO में लॉगिन पश्चात् सीधे ही My Recruitment > Edit Application/ Withdraw Application सेक्शन में SI-2021 भर्ती के सम्मुख उपलब्ध एडिट बटन पर क्लिक कर अपने आवेदन में उपरोक्त अनुमत संशोधन कर सकता है।
- **यदि अभ्यर्थी द्वारा OTR में KYC प्रक्रिया अपूर्ण हैः–** अभ्यर्थी ने जिस एस.एस.ओ आई डी से SI 2021 हेतु आवेदन किया था, उसमें Recruitment Portal एप्लीकेशन पर जाकर KYC की प्रक्रिया सम्पादित करते हुए OTR पूर्ण करने के पश्चात My Recruitment > Edit Application/ Withdraw Application सेक्शन में SI-2021 भर्ती

के सम्मुख उपलब्ध एडिट बटन पर क्लिक कर अपने आवेदन में उक्त अनुमत संशोधन कर सकता है।

- **अभ्यर्थी ने यदि अपना OTR किसी अन्य SSO ID में माइग्रेट कर लिया है**:– तो अभ्यर्थी नवीनतम SSO ID से उपरोक्त वर्णित प्रक्रियानुसार स्वयं के आवेदन पत्र में संशोधन कर सकता है। यदि नवीनतम SSO/OTR में SI-2021 का आवेदन उपलब्ध नहीं है तो अभ्यर्थी अपने OTR में ही उपलब्ध Fetch Application Form ऑप्शन का उपयोग कर आवेदन को तत्कालीन SSO ID (पुरानी SSO ID जिससे आवेदन किया था का विवरण आवेदन पत्र पर अंकित है) से नवीन SSO/OTR में स्थानांतरित कर सकता है।

अपने आवेदन में अभ्यर्थी द्वारा उपरोक्त प्रक्रियानुसार संशोधन करने के बाद एक स्वघोषणा ''मेरे द्वारा आवेदन पत्र में मोबाईल, ई–मेल एवं पत्राचार के पते में संशोधन कर लिया गया है अथवा संशोधन की आवश्यकता नहीं है। साथ ही आवेदन में OTR में प्रयुक्त फोटो, हस्ताक्षर तथा अंगूठा निशानी के प्रयोग हेतु सहमति प्रदान की जाती है।'' को स्वीकार करने के उपरान्त ही फाईनल Submit बटन पर क्लिक कर OTP से सत्यापन पश्चात् आवेदन Submit करना होगा। **जो अभ्यर्थी इस प्रक्रिया को पूरा नहीं करेंगे, उनका आवेदन स्वीकार नहीं किया जावेगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी अभ्यर्थी की स्वयं की होगी।**

उक्त के अतिरिक्त किसी भी प्रकार का संशोधन अनुमत नहीं होगा। अभ्यर्थियों की आयु, आरक्षण, शैक्षणिक योग्यता एवं अन्य मूल प्रविष्टियां यथावत रहेंगी।

**उक्त प्रक्रिया के उपरांत भी यदि अभ्यर्थियों को अपना ऑनलाईन आवेदन पत्र नवीन SSO/OTR में स्थानांतरित करने में कोई समस्या आ रही हो तो अभ्यर्थी अपनी परिवेदना आयोग कार्यालय के Grievance पोर्टल https://rpsc.rajasthan.gov.in/grvlogin पर अंतिम दिनांक 22.07.2026 से पूर्व दिनांक 15.07.2026 तक दर्ज कर सकते हैं।**

पात्रता की शर्तें मूल भर्ती विज्ञापन दिनांक 03.02.2021 एवं शुद्धि पत्र दिनांक 07.06.2021 अनुसार एवं पाठ्यक्रम प्रेस नोट दिनांक 22.05.2026 के अनुसार ही रहेगा।

अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे समय–समय पर आयोग की वेबसाइट एवं Recruitment Portal का अवलोकन करते रहें।

**(रामनिवास मेहता)**
**सचिव**